

**बीआईएस के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाएं एवं निट्स में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित
तिमाही प्रगति रिपोर्ट**

को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता :

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात* |

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या
- (ग) द्विभाषी रूप से जारी कागजात की संख्या
- (ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात

*सामान्य आदेश, संकल्प, परिपत्र, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां , अनुनापत्र, सूचना, निविदा-प्रारूप।

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5) |

- (क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर देने अपेक्षित नहीं थे

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे।
	1	2		
'क' क्षेत्र स				
'ख' क्षेत्र स				

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा |

	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को	1			

5. मुख्यालय से प्राप्त कुल पत्रों का ब्योरा |

हिंदी/द्विभाषी में प्राप्त	केवल अंग्रेजी में प्राप्त	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे।
1	2	3	4	5

6. तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां।

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों कुल संख्या
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की कुल संख्या
कुल टिप्पणियों की कुल संख्या

7. हिंदी कार्यशालाएं ।

तिमाही के दौरान कार्यशाला आयोजन की तिथि एवं संख्या	इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3

नोट - कार्यालय के समस्त कर्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

8. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

- (क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि -
(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या -
(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या -
(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ? -

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (जैसे हिन्दी सेमिनार/कवि सम्मेलन, मानक क्लबों में हिन्दी संबंधि कार्य आदि) (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम

पदनाम

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर

फैक्स नम्बर

ई-मेल का पता

नोट - कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।